iii) over 1 year but less than 2 years	398
iv) over 2 years	424
Total:	1866

The delay in completion of investigation is caused due to reasons such as complicated nature of cases, references made to experts. Letters Rogatory sent abroad to various countries who have different legal systems, investigations spread over to several states all over the country etc.

(c) and (d) A total of 7028 Government servantsPrivate persons are found involved in the aforesaid cases. The progress of investigation in these cases is monitored closely by the CBI to expedite completion of investigations.

Pending Applications for IOC Retail Outlets

1398. SHRI GURFRAN AZAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the number of cases/applications pending with the IOC for commissioning of the retail outlets, and not yet turned down;

(b) whether such cases are decided by the Corporation on merit or any opportunity is given to the applicants to explain their cases;

(c) whether the BPC has already commissioned such a retail outlet in Sonepat District;

(d} if so, the reasons for discrimination by the IOC;

(e) by when such cases are likely to be decided by the IOC; and

(f) whether the Oil Corporations are following the RPO Dealers' Commission norms formulated by Government in August, 1993?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLIUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) Indian Oil Corporation has reported that they have received 659 applications for commissioning of the retail outlets which are required to be sent by them to OSBs.

(b) IOC only scrutinises such applications and forward them to the concerned OSB, who decide such applications on merits after conducting interview.

(c) BPC has not commissioned any retail outlet recently in Distt. Sonepat of Haryana.

(d) Does not arise in view of (b) above.

(e) Further action for selection of dealers will be taken on the reactivation of selection procedure.

(f) Yes. Sir.

गुजरात में गरीबी कम करने संबंधी कार्यक्रम

1399. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में 50,000 से कम जनसंख्या वाले मध्यम स्तरीय और छोटे कस्बों को गरीबी कम करने संबंधी योजनाओं में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में केन्द्रीय सरकार की भागीदारी बढ़ाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कौन-कौन से कस्बों का इन कार्यक्रमों से सीधा संबंध है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) से (ङ) जिन शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है, वे हैं: (क) नेहरू रोजगार योजना (एन० आर० वाई०), (ख) गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं (यू० बी० एस० पी०) और (ग) प्रधान मंत्री का शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी० एम० आई० यू० पी० ई० पी०)। इनमें से एन० आर० वाई० और यू० बी० एस० पी० सभी शहरी बस्तियों के लिए लागू होता है। फिर भी, पी० एम० आई० यू० पी० ई० पी० के अंतर्गत 50,000—100,000 की आबादी वाले कस्बों को शामिल करने के लिए पहचान किया गया है।

केन्द्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों में उपलब्ध निवेश अभिमुखीकरण हेतु उपयुक्त तथा सुनियोजित कार्यनीति के अंतर्गत एकीकृत तरीके के साथ ही साथ शहरी गरीबी के विभिन्न मूल कारणों पर प्रहार करना ही पी० एम० आई० यू० पी० ई० पी० का सामान्य उद्देश्य है ताकि शताब्दी के अंत तक लक्षित शहरी क्षेत्रों से गरीबी को दूर किया जा सके। केन्द्र तथा राज्यों के बीच निधियों की हिस्सेदारी की पद्धति पी० एम० आई० यू० पी० ई० पी० के प्रत्येक घटक के लिए अलग अलग होती है। इन कीमों के अलावा, छोटे तथा मझौले कस्बों के एकीकृत विकास (आई० डी० एस० एम० टी०) की केन्द्र प्रायोजित स्कीम 5 लाख तक की जनसंख्या वाले कस्बों/शहरों के लिए लागू है बशर्ते कि स्कीम के लिए प्रत्येक वर्ष समग्र रूप से उपलब्ध कुल राशि का लगभग एक तिहाई 50,000 से कम आबादी वाले कस्बों को आवंटित की जाएगी। बहरहाल, यह गरीबी उन्मूलन स्कीम नहीं है और चुनिंदा छोटे तथा मझौले कस्बों के विकास के माध्यम से इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे कस्बों से बड़े शहरों की ओर पलायन को कम करना है।

पी० एम० आई० यू० पी० ई० पी० के तहत गुजरात के जो कस्बे शामिल किए गए हैं, उनकी सूची विवरण में दी गई है।

विवरण

प्रधानमंत्री के एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल शहरी समूहों की सूची

गुजरात

1. पाटन
2. दोहाद
3. जेतपुर
4. कलोल
5. पालनपुर
6. खंभात
7. गोंडल
8. धोरानी
9. अंकलेश्वर
10. अमरेली
11. सावर कुंडला
12. बोटाद
13. महुआ
14. दीसा
15. विसनगर
16. धंगाधा
17. धोलका
18. यूपलेटा
19. सिधपुर
20. हिमातनगर
21. अंजार
22. बिलीमोर
23. उंझा
24. काटी
25. वीरंगल
26. दभोई
27. केशोड

Petroleum Conservation Research Association

1400. SHRI K.M. KHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether a Petroleum Conservation Research Association is working under the administrative control of any Government Institution;

(b) if so, the details thereof, with its terms of reference;

(c) whether any jurisdiction of functioning of this Association has been prescribed;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether any achievements on petroleum conservation have since been made by the Association; and

(f) if so, the details thereof, with the amount spent on each such achieve ment?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) to (d) Yes, Sir. Petroleum Conservation Research Association (PCRA) is a registered society under the Societies Registration Act, 1860 formed with the objectives as given in the statement *{see* below). PCRA functions under the administrative control of Ministry of Petroleum and Natural gas as a nodal catalysing agency for achieving petroleum conservation in the various sectors of the economy.

(e) and (f) The annual expenditure and